

an>

Title: Need to put in place a mechanism for better co-ordination of matters dealing with disbursement of relief and financial assistance to the people in the drought affected states.

श्री गजू शेषी (हातकणंगते) : आप सभी को ज्ञात होगा कि देश के कई राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसानों को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ रहा है। कुछ राज्यों में शुर्खे की गंभीर स्थिति तो कहीं ज्यादा बारिश की वजह से बुर्ड तबाही। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए प्रयास जरूर कर रही है। तेकिन इन राज्यों का जारीजा लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रशासन में अंशीरता से इस प्राकृतिक का छल निकालने के लिए और किसानों को मदद करने हेतु वांछित सक्रियता का आवाह है। इस प्रकार की धीमी कार्य प्रणाली से स्थिति के और अंशीर होने की संभावना है। पीने का पानी और जानवरों का खाना और इस स्थिति का आंकलन करने में इस सुख रहैरों की वजह से संकट की स्थिति और बदतर हो सकती है। आज केंद्र सरकार द्वाय संकटग्रन्थ राज्यों को मुहैया कराई गई मदद यथि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने हेतु प्रशासन में चुरस्ती लाना अनिवार्य है। जिर्णव्य प्रैक्टिका सिंगल विडो स्ट्रीम के तहत और सभी संबंधित विभाज्यों का समन्वय रखकर अमल में ताजे की आवश्यकता है। अब तक विभाज्यों में समन्वय के आवाह से छर एक विभाग मनवाडा जिर्णव्य लेता था और इस वजह से उत्तित फल प्राप्त करना असंभव था। मेरी सरकार से विनाशी है कि इस संभाव्य आपदा स्थिति का डटकर मुकाबला करने हेतु और संभाव्य क्षति कम से कम करने के लिए तुरंत उपाय की आवश्यकता सभी राज्यों पर करने की जरूरत है। मार्व, अरैत में और जून तक इस अहेर संकट को मिटाने के लिए सभी राज्यों पर प्रयास हों और पीने के पानी की समस्या की वजह से लोग और जानवर विस्थापित न हों, फ़र अब इकट्ठा होकर इस सामाजिक अभियान को सफल बना दे और दीर्घकालीन उपायों के सहारे आगे देश को ऐसे संकट का दोबारा सामना करने की नौबत न आये, ऐसा प्रावधान करने की तुरंत जरूरत है।